126

सं0 /IV(2)-श0वि0–12–18(एन0यू0आर0एम0)/08

प्रेषक,

डॉ0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 29 मार्च, 2012

विषयः– जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत देहरादून सीवरेज योजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या भा0स0–146/IV(2)–श0वि0–09–18(एन0यू0 आर0एम0)/08 दिनांक 13–7–2009 तथा शासनादेश संख्या भा0स0–168/IV(2)–श0वि0–09–18(एन0यू0आर0एम0)/08 दिनांक 29–9–2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत देहरादून सीवरेज योजना हेतु ₹ 5465.00 लाख की परियोजना स्वीकृत करते हुए क्रमशः ₹ 1365.94 लाख तथा ₹ 819.75 लाख अवमुक्त की गयी है।

2– उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा रिफार्म्स लागू न होने के कारण उक्त परियोजना की द्वितीय किस्त में 10 प्रतिशत काटकर स्वीकृत की गयी थी, जिसे शासनादेश दिनांक 29–9–2011 द्वारा केन्द्रांश एवं राज्यांश की 10 प्रतिशत धनराशि काटकर अवमुक्त किया गया है। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 29–9–2011 द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किस्त हेतु आगणित राज्यांश के सापेक्ष अवशेष राज्यांश की धनराशि ₹ 109.30 लाख को संलग्न बीएम–15 में उल्लिखित मदों के बचतों के व्यवर्तन से **₹ 109.30 लाख (₹ एक करोड़ नौ लाख तीस हजार मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) उक्त धनराशि **₹ 109.30 लाख (₹ एक करोड़ नौ लाख तीस हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर सम्बधित **कार्यदायी संस्था प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून** को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी और इसे वह पी0एल0ए0 खाते में रखेंगे।

GO JNNURM

(ii) शासनादेश संख्या भा0स0–146/IV(2)–श0वि0–09–18(एन0यू0आर0एम0)/08 दिनांक 13–7–2009 तथा शासनादेश संख्या भा0स0–168/IV(2)–श0वि0–09–18(एन0यू0 आर0एम0)/08 दिनांक 29–9–2011 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नही किया जायेगा।

(iv) जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा और धनराशि का व्यय केवल अनुमोदित कार्यों पर ही किया जायेगा।

(v) निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत अपेक्षित सुधारों के पृथक–पृथक प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

(vi) सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करानी होगी। जिसमें कि भौतिक प्रगति का स्पष्ट उल्लेख होगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी और उसके अभियंता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।

(vii) स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

(viii) निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

(ix) कार्य पूर्ण होने पर इस वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी राज्य सरकार एवं भारत सरकार को प्रेषित करा दिया जायेगा। योजना के लिए स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण भी शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा।

(x) कार्य को भारत सरकार के द्वारा दी गई प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैर्टन से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।

(xi) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2012 तक पूर्ण उपयोग कर इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भी भारत सरकार को प्रेषित कर दिया जायेगा।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष–2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13, लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित

योजना–05–नेशनल अरबन रिनियूअल मिशन–20 सहायक अनुदान/ अंशदान/राज्य सहायता की मद के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0– 201/XXVII(2)/2012, दिनांक 15 मार्च, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

सं0 375 (1)/IV(2)-श0वि0–12,तद्दिनांक।

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. संयुक्त सचिव/मिशन निदेशक (जेएनएनयूआरएम), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
5. निजी सचिव, मा0 नगर विकास मंत्री जी।
6. सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा (साईबर ट्रेजरी), देहरादून।
9. जिलाधिकारी, देहरादून।
10. वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
12. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
13. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
14. अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
15. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
16. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।

GO JNNURM